दिनांक–6.1.2014 को जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी की अध्यक्षता में विधि–व्यवस्था, निर्वाचन, सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना, आपूर्ति एवं भूमि सुधार आदि के संबंध में हुई बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :– उपस्थिति पंजी के अनुसार।

बैठक की कार्यवाही :– सर्वप्रथम बताया गया कि पंचायत उप निर्वाचन दिनांक–12.1.2014 को एवं मतगणना दिनांक–13.1.2014 को निर्धारित है। इस अवसर पर निम्नलिखित व्यवस्था करने का निदेश दिया गया :–

(क) सभी मतदान भवनों पर स्टैटिक दण्डाधिकारी एवं सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति की जाय।

(ख) E.V.M Collect Party के माध्यम से प्रत्येक मतदान केन्द्र पर E.V.M भेजने की व्यवस्था की जाय।

(ग) प्रखंड में बज्रगृह की व्यवस्था की जाय।

(घ) मतगणना के पश्चात प्रमाण–पत्र का वितरण प्रखंड से किया जाय।

(अनुपालन–पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण/जिला पंचायत राज पदा0, पूर्वी चम्पारण)

(2) गणतंत्र दिवस–2014 के अवसर पर सभी महादिलत टोलों में झंडोत्तोलन करने का निदेश दिया गया तथा बताया गया कि इस अवसर पर जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से सभी बृद्ध व्यक्तियों के ऑख की जॉच की जाएगी तथा उनके बीच चश्मा का वितरण भी किया जाएगा। अतः सभी महादलित टोलों की सत्यापन कर इन टोलों में पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करने का निदेश प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा, मोतिहारी को दिया गया। सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे स्वयं इस कार्य का पर्यवेक्षण करेंगे।

(अनुपालन–प्रभारी पदा0, जिला सामान्य शाखा, पूर्वी चम्पारण/सभी अनुमंडल पदाधिकारी)

(3) बैठक में बताया गया कि दिनांक–18.1.2014 को अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर शत–प्रतिशत मतदाता फोटो पहचान पत्र (Epic) का मुद्रण कराकर 15 फरवरी 2014 के पूर्व वितरण किया जाना है। इसके लिए एक पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने का निदेश सभी अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया जो इस बात की जॉच करेंगे कि मतदाता फोटो पहचान पत्र (Epic) में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। यदि मतदाता फोटो पहचान पत्र (Epic) में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो वे इसे वितरण के पूर्व सुधार की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए संबंधित भेंडर के द्वारा प्रत्येक अनुमंडल में डाटा प्रिन्टर लगाया जाएगा। (Epic) का प्रत्येक दिन का लक्ष्य निर्धारित करने तथा वितरण के पश्चात डाटा वापस लेने का भी निदेश दिया गया।

सभी अनुमंडल पदाधिकारी को इस कार्य का पर्यवेक्षण करने तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य को पूरा कराकर वितरण प्रमाण–पत्र जिला निर्वाचन कार्यालय में समर्पित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण)

(4) सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन दिनांक–18.1014 के पूर्वाह्न में कर इस आशय का प्रमाण–पत्र जिला निर्वाचन कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन–सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण)

(5) बैठक में बताया गया कि एन0पी0आर0 के आधार पर संबंधित एजेन्सी के द्वारा "आधार कार्ड" बनाया जाएगा। इसके लिए सर्वप्रथम मोतिहारी ग्रामीण एवं चकिया शहर में कार्य का संचालन कराया जाएगा। इसके लिए निम्नलिखित व्यवस्था करने का निदेश सभी अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया :–

(क) फोटोग्राफी के दो दिन पूर्व फार्म–"क" बॅटवाया जाएगा।

(ख) लाईन लगाने के लिए चौकीदार एवं दफादार की प्रतिनियुक्ति की जाएगी।

(ग) सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाएगा।

(अनुपालन–सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पूर्वी चम्पारण)

(6) बैठक में बताया गया कि जिला के लिए सुरक्षित तेल का आवंटन किया जाता है, उसका सत्यापन कर

प्रतिवेदन देने का निदेश सभी अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया। समीक्षा के कम में अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा इस संबंध में स्थिति निम्नवत् बताया गया :–

कमांक	अनुमंडल का नाम	प्रखंड का नाम	प्राप्त/अप्राप्त
(1)	सदर	सभी प्रखंड	प्राप्त
(2)	चकिया	मेहसी, केसरिया, कल्याणपुर	प्राप्त
(3)	सिकरहना	ढाका	प्राप्त
(4)	रक्सौल	रक्सौल, आदापुर	प्राप्त
(5)	पकड़ीदयाल	पताही, तेतरिया	प्राप्त

(अनुपालन–सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण)

(7) ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए सभी मुख्य–मुख्य स्थलों पर अलाव की व्यवस्था करने तथा विगत वर्षो में इस मद में दी गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजने का निदेश सभी अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया।

(अनुपालन–सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण)

(7) ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए सभी मुख्य–मुख्य स्थलों पर अलाव की व्यवस्था करने तथा विगत वर्षो में इस मद में दी गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजने का निदेश सभी अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया।

(अनुपालन–सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण)

(8) उपरोक्त के अतिरिक्त सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निम्नलिखित आदेश दिया गया :–

(क) कम्बल कय कर तुरंत वितरण करने की कार्रवाई की जाए।

(ख) एक गॉव का भूमि अभिलेख का कम्प्यूटराईजेशन किया जाए।

(ग) सम्पर्क पथ में प्राप्त राशि को नियमानुसार खर्च किया जाए।

(घ) भूमि विवाद की समीक्षा कर इसका निष्पादन सुनिश्चित किया जाए तथा प्रतिवेदन साप्ताहिक रूप से जिला गोपनीय शाखा में भेजना सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन–सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण)

(9) विधि–व्यवस्था की समीक्षा के कम में निम्नलिखित निर्देश दिया गया :–

(क) मुख्य सचिव, बिहार, पटना के द्वारा प्रत्येक सप्ताह में विधि–व्यवस्था कार्य की समीक्षा की जाएगी। फलस्वरूप विधि–व्यवस्था से संबंधित प्रतिवेदन साप्ताहिक रूप से भेजने का निदेश सभी अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया।

(ख) पोशाक एवं छात्रवृति वितरण में कुछ स्थानों पर असमाजिक तत्वों के द्वारा विधि–व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि ऐसे असमाजिक तत्वों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई शीघ्र की जाए।

(ग) पिछले महीनों में बलुआ टाल एवं गोनाही में कुछ असमाजिक तत्वों के द्वारा विधि–व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। अतः ऐसे असमाजिक तत्वों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कार्रवाई करने का निदेश सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को दिया गया।

(घ) विगत लोक सभा एवं विधान सभा निर्वाचन में जितने वाद दर्ज किए गये हैं, उसका निष्पादन कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। साथ ही, निर्वाचन से संबंधित मामले में चार्जसीटेड अपराधियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(ड़) थाना स्तर पर शस्त्र संबंधित कितने लाईसेंस निर्गत किए गये हैं, उनमें से कितने का सत्यापन किया गया। फरवरी के प्रथम सप्ताह में शस्त्र के लाईसेंसों का सत्यापन कर थानावार प्रतिवेदन समर्पित किया जाय।

(च) अवैध शराब की बिकी एवं खाद्यान्न की कालाबाजारी करने वाले व्यक्तियों की सूची तैयार कर उनके विरूद्ध कार्रवाई करने का निदेश पुलिस अधीक्षक, उत्पाद अधीक्षक एवं सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को दिया गया।

(छ) मर्डर, बलात्कार एवं डकैती से संबंधित वाद का अनुसंधान शीघ्र कराकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण)

(10) बताया गया कि निर्वाचन आयोग से प्राप्त सरकारी कर्मियों का डाटा भेजने के लिए एक प्रपत्र सभी कार्यालयों में भेजा गया है। अपने अनुमंडल के अधीनस्थ प्रखंडों एवं अंचलों के कर्मियों का डाटा विहित प्रपत्र में भरवाकर जिला कार्यालय में शीघ्र भेजवाने का निदेश सभी अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया।

उप निर्वाचन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण को निदेश दिया गया कि जिला स्तर के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों से उक्त डाटा की मॉग करने के लिए अधोहस्ताक्षरी की ओर से एक अर्द्ध सरकारी पत्र निर्गत किया जाए।

(अनुपालन–सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, उप निर्वाचन पदाधिकारी, मोतिहारी)

(11) सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना–2011 के आधार पर प्रारूप का प्रकाशन सभी प्रखंडों/शहरी निकायों में दिनांक–16.1.14 को निश्चित रूप से कर दिया जाए। तथा प्राप्त दावा एवं आपत्तियों को जॉच कर निष्पादन करते हुए COTS सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि दिनांक–10 फरवरी 2014 तक कराना सुनिश्चित किया जाय। उन्हें दिनांक–22.1.14 एवं 23.1.14 को सभी पंचायत स्तर पर ग्राम सभा का आयोजन करने तथा पर्यवेक्षकों की प्रतिनियुक्ति करने का निदेश दिया गया जो ग्राम सभा में ऑब्जर्वर के रूप में कार्य करेंगे।

(अनुपालन–सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

31

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी।

ज्ञाप संख्या– 242 /गो0 मोतिहारी, दिनांक– 31 वीं जनवरी, 2014

प्रतिलिपि–पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/सभी अंचलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/सभी थानाध्यक्ष, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।